

अधिसूचना

राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 24 X 7 सेवा के सुचारु संचालन हेतु विभागीय आदेश संख्या 47(5) दिनांक 03.06.2016 एवं 497(3) दिनांक 24.8.2016 के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना स्थित दूरभाषीय अनुश्रवण कोषांग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की उपस्थिति का रोस्टवार अनुश्रवण कोषांग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की उपस्थिति का रोस्टवार अनुश्रवण के क्रम में कुल 19 चिकित्सक अनुपस्थित पाये गये थे। सभी चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसमें मात्र 5 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया जिसे संतोषजनक पाया गया बाकी स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। इनके द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर नहीं समर्पित करना इस बात का द्योतक है कि उन्हें अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है। अतः अनुश्रवण के दौरान अद्योउल्लेखित अनुपस्थित पाये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(क) अनुपस्थित तिथि के वेतन पर रोक। (उक्त तिथि की सेवा पेंशन प्रदायी होगी)

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

क्र०सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	डा० ज्योत्सना शरण	चिकित्सा पदाधिकारी	रेफरल अस्पताल, बनियापुर, सारण
2.	डा० राम नारायण राम	प्रभार चिकित्सा पदाधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहतास
3.	डा० संगीता कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	स्दर अस्पताल, सीतामढ़ी
4.	डा० महावीर गुप्ता	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा० स्वा० केन्द्र, कसेथ, बक्सर
5.	डा० अविनाश कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, दलसिंहसराय, समस्तीपुर
6.	डा० बंदना कुमारी	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा
7.	डा० सुनिता कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा०स्वा०केन्द्र, मोरवा, समस्तीपुर
8.	डा० ज्ञानेन्द्र कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा०स्वा०केन्द्र, मोरवा, समस्तीपुर
9.	डा० राजेश कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा०स्वा०केन्द्र, ईस्माइलपुर, भागलपुर
10.	डा० एम०एन०राय	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, बरसोई, कटिहार
11.	डा० गिरिधारी लाल	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा
12.	डा० सुप्रिया कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा

13. डा0 श्याम राय	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, राजगीर, नालंदा
14. डा0 दयानन्द मल्लिक	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, तरयानी, शिवहर

उपरोक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

शापांक: 232(9)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 20/02/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सारण/रोहतास/सीतामढ़ी/बक्सर/समस्तीपुर/नालंदा/भागलपुर /कटिहार/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन सारण/रोहतास/सीतामढ़ी/बक्सर/समस्तीपुर/नालंदा/भागलपुर/ कटिहार /शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 1,2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 (प्रो0 कोषांग) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव